

पालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौला

मु० न०:- 79/2019

तारीखरजू:- 19/2/19

उनवान:- हरस्वरूप बनाम प्रकाश बगौ

दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा धारा 188 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम	
19/2/19	वादी की ओर से श्री रामअवतार शर्मा एडवोकेट ने दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से वाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 14.8.19 को पेश हो।	2732-39 19/2/19
14-8-19	वादी वकील उप०। प्रतिवादीगण कायजूद सूचना उप० नहीं हैं, उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जाती है। <del>सहकारी</del> वादी साक्ष्य पेश करने दि० 28-8-19 को पेश हो।	
28-8-19	वादी वकील उप०। वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 17.9.19 को पेश हो।	
17.9.19	वादी वकील उप०। वादी साक्ष्य पेश करने समय चाहा। समय दिया गया। वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 1-10-19 को पेश हो।	
1-10-19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी करौली पद्वारे है। अतः पत्रावली गतनुसार दिनांक 16-10-19 को पेश हो।	
16-10-19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी <del>सकल</del> उप०। अतः पत्रावली गतनुसार दिनांक 2-11-19 को पेश हो।	
2-11-19	वादी वकील उप०। वादी साक्ष्य पेश करने समय चाहा। समय दिया गया। वादी साक्ष्य पेश करने दि० 28-11-19 को पेश हो।	

उप जिला कलक्टर  
टोडाभीम जिला करौली

दिनांक	
28.11.19	वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी करीब की रिपोर्ट है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 24.12.19 को पेश हो। <i>उपस्थित</i>
24.12.19	वादी वकील उपर/ वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 7.2.20 को पेश हो। <i>उपस्थित</i>
7.2.20	वादी वकील उपर/ वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 27.2.20 को पेश हो। <i>उपस्थित</i>
27.2.20	वादी वकील/ वकील समय पत्र उपस्थित पीठासीन अधिकारी... <i>उत्तर का शा... 14... 15</i> पत्रावली गतानुसार दिनांक... <i>2.3.3.20...</i> को पेश हो। <i>उपस्थित</i>
23.3.20	पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रख गया है। पीठासन अधिकारी <i>प्रीति...</i> गतानुसार दिनांक 22.4.20 को पेश हो। <i>उपस्थित</i>
9-9-20	<i>लौकडाउन के कारण पेशी में देरी हुई</i> वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी <i>डेविड</i> पत्रावली है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 26.10.20 को पेश हो।
26.10.20	वादी वकील उपर/ वादी साक्ष्य पेश करने समय पाठा/पहले ही पत्रावली समय दिया जा चुका थी न्यायस्थिति में एक अंतिम चेष्टा दिया जाता है वादी साक्ष्य पेश नहीं होने पर वादी साक्ष्य बंद होकर बहस लुप्त जावेगी दिनांक 23.11.20 को पेश हो। <i>उपस्थित</i>
23.11.20	वादी वकील/ वकील समय पत्र उपस्थित पीठासीन अधिकारी... <i>उत्तर का शा... नै... उपस्थित</i> पत्रावली गतानुसार दिनांक... <i>4.11.21...</i> को पेश हो। <i>उपस्थित</i>
4.11.21	वादी वकील उपर/ बहस होने समय वादी समय दिनांक गया वाकि बहस दिनांक 19.1.21 को पेश हो। <i>उपस्थित</i>

य  
18

# आयालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

19.12 वादी वकील उपज/बल्लु लु समय-काहा समय  
दिना गपा/बल्लु बल्लु री 8.2.21 कोपेसो/

3-2-21

पनावली पेश हुई। वादी वकील उपज/बल्लु लु  
नहीं है। कई बार कावाज दिखाई गई  
फिर भी वादी वकील उपज/बल्लु लु नहीं नाई  
वद्वत के घिस उपज/बल्लु लु। मतः गदरावा  
अडम हाजिरी अडम पेशी में खारिज  
किया जाला है। पनावली फेराल शुभार  
डोकर नम्बर से कम डोकर डारिबल  
इफ्तर है।

उप जिला कलक्टर  
टोडाभीम (करौली)